REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

 सं. 144]
 नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 27, 2019/फाल्गुन 7, 1940

 No. 144]
 NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 27, 2019/PHALGUNA 7, 1940

भारतीय रिज़र्व बैंक

(वित्तीय बाजार विनियमन विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 26 फरवरी, 2019

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा) (संशोधन) विनियमावली, 2019

सा.का.नि. 161(अ).— विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड(एच) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा) (संशोधन) विनियमावली, 2000 (दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 25/आरबी-2000) में निम्नानुसार संशोधन करता है:

2. लघु शीर्षक एवं प्रवर्तन:

- I. इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा) (संशोधन) विनियमावली, 2019 के नाम से जाना जाएगा।
- II. ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी माने जाएंगे।

3. संशोधन

क. निम्नांकित को अनुसूची–Ⅱ के अंत में पैरा 7 के रूप में जोड़ा जाए:

"विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जानेवाले नियम एवं शर्तों के अधीन स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) सुविधा के तहत किए गए निवेशों के संबंध में करेंसी जोखिम से बचाव के लिए एक करेंसी के रूप में रुपए को शामिल करते हुए भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के साथ वायदा करार, विदेशी मुद्रा-रुपया आप्शन संविदा, लागत कमी संरचना अथवा स्वैप (अदला-बदली)कर सकता है।"

[सं. फेमा. 390/2019-आरबी]

टी. रबी शंकर, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी: मूल नियमावली 8 मई, 2000 को सा.का.नि. सं. 411(अ), भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई:

> सा.का.नि. 756(अ) दिनांक 28.09.2000, सा.का.नि. 264(अ) दिनांक 09.04.2002, सा.का.नि. 579(अ) दिनांक 19.08.2002, सा.का.नि. 222(अ) दिनांक 18.03.2003, सा.का.नि. 532(अ) दिनांक 09.07.2003, सा.का.नि. 880(अ) दिनांक 11.11.2003, सा.का.नि. 881(अ) दिनांक 11.11.2003, सा.का.नि. 750(अ) दिनांक 28.12.2005, सा.का.नि. 222(अ) दिनांक 19.04.2006, सा.का.नि. 223(अ) दिनांक 19.04.2006, सा.का.नि. 760(अ) दिनांक 07.12.2007, सा.का.नि. 577(अ) दिनांक 05.08.2008, सा.का.नि. 440(अ) दिनांक 23.06.2009, सा.का.नि. 895(अ) दिनांक 14.12.2009, सा.का.नि. 635(अ) दिनांक 27.07.2010, सा.का.नि. 608(अ) दिनांक 03.08.2012, सा.का.नि. 799(अ) दिनांक 30.10.2012, सा.का.नि. 330(अ) दिनांक 23.05.2013, सा.का.नि.374(अ) दिनांक 02.06.2014, सा.का.नि.365(अ) दिनांक 01.06.2016, सा.का.नि.378(अ) दिनांक 25.10.2016, सा.का.नि. 260(अ) दिनांक 17.03.2017 और सा.का.नि. 1324(अ) दिनांक 24.10.2017

RESERVE BANK OF INDIA

(Financial Markets Regulations Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 26th February, 2019

Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) (Amendment) Regulations, 2019

G.S.R. 161(E).— In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank hereby makes the following

amendments in the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 25/RB-2000 dated May 3, 2000), namely:

2. Short title & commencement:

- i. These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) (Amendment) Regulations, 2019.
- ii. These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

3. Amendments

a. The following may be added at the end of Schedule – II as para 7:

"A Foreign Portfolio Investor may enter into forward contracts, foreign currency-rupee option contract, cost reduction structures or swaps with Rupee as one of the currencies with an Authorised Dealer in India to hedge the currency risk in respect of investments made under the Voluntary Retention Route (VRR) facility subject to such terms and conditions as may be stipulated by the Reserve Bank from time to time."

[No. FEMA 390/2019-RB] T. RABI SHANKAR, Chief General Manager

Footnote: The principal regulations were published in the Official Gazette *vide* GSR No. 411(E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended vide–

G.S.R. No. 756(E) dated 28.09.2000, G.S.R. No. 264(E) dated 09.04.2002, G.S.R. No. 579(E) dated 19.08.2002. G.S.R. No. 222(E) dated 18.03.2003, G.S.R. No. 532(E) dated 09.07.2003, G.S.R. No. 880(E) dated 11.11.2003. G.S.R. No. 881(E) dated 11.11.2003, G.S.R. No. 750(E) dated 28.12.2005, G.S.R. No. 222(E) dated 19.04.2006, G.S.R. No. 223(E) dated 19.04.2006, G.S.R. No. 760(E) dated 07.12.2007 G.S.R. No. 577(E) dated 05.08.2008, G.S.R. No. 440(E) dated 23.06.2009, G.S.R. No. 895(E) dated 14.12.2009, G.S.R. No. 635(E) dated 27.07.2010, G.S.R. No. 608(E) dated 03.08.2012, G.S.R. No. 799(E) dated 30.10.2012, G.S.R.No. 330(E) dated 23.05.2013, G.S.R.No. 374(E) dated 02.06.2014, G.S.R.No. 365(E) dated 01.06.2016, G.S.R.No. 378(E) dated 25.10.2016, G.S.R.No. 260(E) dated 17.03.2017 and G.S.R.No. 1324(E) dated 24.10.2017

अधिसूचना

मुम्बई, 26 फरवरी, 2019

विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमेय पूंजी खाता संव्यवहार) (संशोधन) विनियमावली, 2019

सा.का.नि. 162(अ).— विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ए) और धारा 47 की उपधारा (2) के खंड(ए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 03 मई 2000 की अपनी अधिसूचना सं.एफईएमए 1/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमेय पूंजी खाता लेनदेन) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन किए हैं, अर्थात्

2. लघु शीर्षक और प्रवर्तन

- (i) इस विनियमावली को विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमेय पूंजी खाता संव्यवहार) (संशोधन) विनियमावली, 2019 कहा जाए।
- (ii) ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी हो जाएंगे।

3. विनियमों का संशोधन :

(i) पैरा 2 (परिभाषाएं) के खंड के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा -

"(डीए) 'व्युत्पन्नी' का आशय है एक वित्तीय संविदा, जिसका निपटान भविष्य में किसी तारीख को किया जाएगा, जिसका मूल्य एक या अधिक वित्तीय, अथवा गैर-वित्तीय चर(वेरिएबल्स) से निकाला जाता है।"

(ii) विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमेय पूंजी खाता संव्यवहार) विनियमावली, 2000 की प्रथम अनुसूची (भारत में निवासी
 व्यक्तियों के पूंजी खाता लेनदेन की श्रेणियां) में विद्यमान खंड (के) को निम्नानुसार बदल दिया जाएगा, अर्थात्

"(के) व्युत्पन्नी संविदाओं की वचनबद्धता"

 (iii) विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमेय पूंजी खाता संव्यवहार) विनियमावली, 2000 की द्वितीय अनुसूची (भारत से बाहर निवासी व्यक्तियों के पूंजी खाता लेनदेन की श्रेणियां) में विद्यमान खंड(जी) को निम्नानुसार बदल दिया जाएगा, अर्थात्

"(एच) व्युत्पन्नी संविदाओं की वचनबद्धता"

[सं. फेमा. 391/2019-आरबी]

टी. रबी शंकर, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी: मूल नियमावली 05 मई 2000 को सा.का.नि. सं. 384 (अ), भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई:

> सा.का.नि.207 (अ) दिनांक 23.03. 2004, सा.का.नि.14 (अ) दिनांक 05.01. 2008, सा.का.नि.551 (अ) दिनांक 14.08. 2013, सा.का.नि. 488 (अ) दिनांक 11.07. 2014, सा.का.नि. 283 (अ) दिनांक 13.04. 2015, सा.का.नि. 425 (अ) दिनांक 26.05. 2015 और सा.का.नि. 859 (अ) दिनांक 16.11.2015

NOTIFICATION

Mumbai, the 26th February, 2019

Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions)(Amendment) Regulations, 2019

G.S.R. 162(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 6 and clause (a) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No. FEMA 1/2000-RB dated May 03, 2000, the Reserve Bank makes the following amendment in the Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) Regulations, 2000, as amended from time to time, namely :-

2. Short title and commencement: -

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) (Amendment) Regulations, 2019.
- (ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

3. Amendments of the regulations: -

(i) After the clause (d) of Para 2 (Definitions) the following shall be added:

"(da) 'Derivative' means a financial contract, to be settled at a future date, whose value is derived from one or more financial, or non-financial variables."

 (ii) In Schedule I (Classes of capital account transactions of persons resident in India) of Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) Regulations, 2000, for the existing clause (k), the following shall be substituted, namely;

"(k) Undertake derivative contracts"

 (iii) In the Schedule II (Classes of capital account transactions of persons resident outside India) of Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) Regulations, 2000, after existing clause (g) the following shall be added, namely;

"(h) Undertake derivative contracts"

[No. FEMA 391/2019-RB]

T. RABI SANKAR, Chief General Manager

Foot Note: The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 384(E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended vide:

G.S.R.207 (E) dated 23.03. 2004, G.S.R.14 (E) dated 05.01. 2008, G.S.R.551 (E) dated 14.08. 2013, G.S.R. 488 (E) dated 11.07. 2014, G.S.R. 283 (E) dated 13.04 2015 G.S.R. 425 (E) dated 26.05. 2015 and G.S.R. 859 (E) dated 16.11.2015

अधिसूचना

मुम्बई, 26 फरवरी, 2019

विदेशी सुद्रा प्रबंधन अधिनियम (उधार लेना और ऋण देना) (संशोधन) विनियमावली, 2019

सा.का.नि. 163(अ).— विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनयम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ई) और धारा 47 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 17 दिसम्बर 2018 की अपनी अधिसूचना सं.एफईएमए 3(आर)/2018-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (उधार लेना और ऋण देना) विनियमावली, 2018 में निम्नलिखित संशोधन किए हैं, अर्थात्

2. लघु शीर्षक और प्रवर्तन

- (i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनयम (उधार लेना और ऋण देना) (संशोधन) विनियमावली, 2019 कहा जाए।
- (ii) ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी हो जाएंगे।

3. विनियमों का संशोधन

 (i) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (उधार लेना और ऋण देना) विनियमावली, 2018 में पैरा 7 के बराबर निम्नलिखित पैरा 7-ए जोड़ा जाएगा-

"7-ए. भारत से बाहर रह रहे व्यक्तियों द्वारा उधार लिया जाना और ऋण दिया जाना

भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति धन उधार लेने अथवा ऋण देने के लिए रुपये में रेपो अथवा रिवर्स रेपो लेनदेन कर सकता है, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित शर्तों और निबंधनों के तहत होगा।

स्पष्टीकरण:

रेपो का वही अर्थ रहेगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45यू(सी) में परिभाषित है, रिवर्स रेपो का वही अर्थ रहेगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45यू(डी) में परिभाषित है।"

सं. फेमा. 3(**आर**)1/2019-आरबी]

टी.रबी शंकर, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी: मूल नियमावली 17 दिसंबर 2018 को सा.का.नि. सं. 1213 (अ), भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित

NOTIFICATION

Mumbai, the 26th February, 2019

Foreign Exchange Management (Borrowing and lending) (Amendment) Regulations, 2019

G.S.R. 163(E).— In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (3) of Section 6 and sub-section (1) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No. FEMA 3(R)/2018-RB dated December 17, 2018, the Reserve Bank makes the following amendment in the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending) Regulations, 2018, as amended from time to time, namely :-

2. Short title and commencement: -

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending) (Amendment) Regulations, 2019.
- (ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

3. Amendment of the regulations: -

(i) In the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending) Regulations, 2018, after Para 7, the following Para 7-A shall be added, viz.,

"7-A. Borrowing and lending by persons resident outside India: -

A person resident outside India may undertake repo or reverse repo transactions in Rupees to borrow or lend money, subject to such terms and conditions as may be specified by the Reserve Bank.

Explanation:

Repo shall have the same meaning as defined in Section 45U (c) of RBI Act, 1934

Reverse Repo shall have the same meaning as defined in Section 45U (d) of RBI Act, 1934"

[No. FEMA 3(R)1 /2019-RB]

T. RABI SANKAR, Chief General Manager

Foot Note:- The Principal Regulation was published in the Official Gazette vide G.S.R.No.1213(E) dated December 17, 2018 in Part II, Section 3, sub-Section (i)

अधिसूचना

मुम्बई, 26 फरवरी, 2019

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का हस्तांतरण या निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2019

सा.का.नि. 164(अ).— भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनयम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 की उपधारा (2) के खंड (एच) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 07 नवम्बर 2017 की अधिसूचना सं.एफईएमए 20 (आर)/2017-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का हस्तांतरण या निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2017 में निम्नलिखित संशोधन किए हैं, अर्थात्

2. लघु शीर्षक और प्रवर्तन : -

- (i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का हस्तांतरण या निर्गम)
 (संशोधन) विनियमावली, 2019 कहा जाए।
- (ii) ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी हो जाएंगे।

3. विनियमों का संशोधन : -

- क. विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का हस्तांतरण या निर्गम) (संशोधन)
 विनियमावली, 2017 के पैरा सं.5 के खंड 5 की टिप्पणी को हटा दिया जाएगा.
- (ख) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का हस्तांतरण या निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2017 पैरा सं.5 के खंड (5) के बाद निम्नलिखति परिच्छेद को जोड़ा जाएगा :

"(5)(ए) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक या अनिवासी भारतीय (एनआरआइ) या भारत के ओवरसीज नागरिक (ओसीआइ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित सभी एक्सचेंज पर किए जाने वाले व्युत्पन्नी कारोबार या इनमें निवेश कर सकते हैं लेकिन इस बारे में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं और अनुसूची 5 में निर्दिष्ट शर्तों का पालन करना होगा"

(ग) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का हस्तांतरण या निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2017 में पैरा सं.5 के खंड(5)(ए) के बाद निम्नलिखित परिच्छेद शामिल किया जाएगा :-

"(5)(बी) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक किसी भी ब्याज दर व्युत्पन्नी की संविदा में शामिल हो सकता है लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी"

[सं. फेमा. 20(**आर**)5/2019-आरबी]

टी. रबी शंकर, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी: मूल नियमावली 07 नवंबर 2017 को सा.का.नि. सं.1374 (अ), भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई:

> सा.का.नि. 279(अ) दिनांक 26.03.2018, सा.का.नि. 520(अ) दिनांक 01.06.2018 और

सा.का.नि. 823(अ) दिनांक 30.08.2018 ।

NOTIFICATION

Mumbai, the 26th February, 2019

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Amendment) Regulations, 2019

G.S.R. 164(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and clause (h) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No. FEMA 20 (R)/2017-RB dated November 07, 2017, the Reserve Bank makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017, as amended from time to time, namely :-

2. Short title and commencement: -

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Amendment) Regulations, 2019.
- (ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

3. Amendment of the Regulation: -

- a. In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017 the Note to clause 5 of Para No. 5 shall be deleted.
- b. In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017 after the clause (5) of Para No. 5 the following clause shall be inserted: -

"(5)(a) A Foreign Portfolio Investor or a Non-Resident Indian (NRI) or an Overseas Citizen of India (OCI) may trade or invest in all exchange traded derivative contracts approved by Securities and Exchange Board of India from time to time subject to the limits prescribed by Securities and Exchange Board of India and conditions specified in Schedule 5"

c. In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017 after the clause (5)(a) of Para No. 5 the following clause shall be inserted: -

"(5)(b) A Foreign Portfolio Investor may enter into contract in any interest rate derivative subject to conditions laid down by the Reserve Bank from time to time."

[No. FEMA 20(R)5/2019-RB]

T. RABI SANKAR, Chief General Manager

Foot Note:- The Principal Regulation was published in the Official Gazette *vide* G.S.R.No.1374(E) dated November 07, 2017 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under

G.S.R. No. 279(E) dated 26.03.2018,

G.S.R. No. 520(E) dated 01.06.2018 and

G.S.R. No. 823 (E) dated 30.08.2018.